राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2975/2025

माया मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारभिक शिक्षा, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.06.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीणा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार आरपीएससी ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 2.6.2004 को विज्ञापन जारी किया था। अपीलार्थी उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य एवं पात्र होने के कारण उक्त पद के लिए विधिवत आवेदन किया तथा आरपीएससी द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पश्चात अपीलार्थी को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर चयनित किया गया तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 ने दिनांक 4.5.2005 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को नियुक्ति प्रदान की तथा उसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय मीठी पट्टी (हिण्डौन) में पदस्थापित किया। (अनुलग्नक–1) नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अपीलार्थी लगभग 9 महीने की गर्भवती थी और उसका उपचार भी चल रहा था, इसलिए वह ड्यूटी पर नहीं आ सकी। अपीलार्थी ने अपने आवंटित स्थान पर अपनी गर्भावस्था के बारे में संबंधित अधिकारी को सूचित किया और प्रसव के बाद अपीलार्थी ने 26.8.2005 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय मीठी पट्टी (हिंडौन सिटी) में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। (अनुलग्नक–2) प्रारंभिक नियुक्ति के बाद से अपीलार्थी लगातार अत्यंत संतुष्टि और समर्पण के साथ सेवा प्रदान कर रहा है और 2 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने दिनांक 5.7.2012 के आदेश के तहत अपीलार्थी की सेवा को नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि के स्थान पर उसकी सेवा की गणना उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से करके 25.8.2007 से

पुष्टि कर दी और उसे जुलाई 2007 की एक वेतन वृद्धि और अन्य सेवा लाभ यानी वरिष्ठता से वंचित कर दिया। (अनुलग्नक–3) उसके बाद 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 16.2.2016 के आदेश के तहत अपीलार्थी को 4.5.2014 के स्थान पर 25.8.2014 से प्रथम एसीपी का लाभ प्रदान किया। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की सेवा को आदेश जारी करने की तारीख से नहीं गिन रहे हैं। अपीलार्थी का मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हेमराज रेगर एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 4640/2018 के मामले में पारित दिनांक 7.3.2018 के निर्णय से आच्छादित है, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा प्रत्यर्थी संख्या 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को निर्देश देते हुए किया था कि वे दो महीने की अवधि के भीतर मनोज खंडेलवाल एवं अन्य के पक्ष में दी गई राहत को बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता की शिकायतों को संबोधित करते हुए एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करें और निर्णय लें। माननीय उच्च न्यायालय ने मनोज खंडेलवाल एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 7283/2014 और सुमन बाई एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य 2009 (1) डब्ल्यूएलसी (राज.) 341 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय के आलोक में उपरोक्त रिट याचिका का फैसला किया। अपीलार्थी लगातार प्रत्यर्थी विभाग से उसके नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से उसके कार्यभार ग्रहण करने के स्थान पर काल्पनिक लाभ प्रदान करने के लिए संपर्क कर रही है, क्योंकि गर्भावस्था के कारण अपीलार्थी के कार्यभार ग्रहण करने में देरी हुई है, इसलिए कार्यभार ग्रहण करने में देरी के लिए उसकी ओर से कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रतिवादियों ने अभी भी अपीलार्थी के अनुरोध पर विचार नहीं किया है और इसलिए वह अभी भी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से काल्पनिक लाभ से वंचित है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की सेवा की गणना उसके नियुक्ति आदेश दिनांक 04.05.2005 के जारी होने की तिथि से सभी परिणामी लाभों सहित करते हुए वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, एसीपी और अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य